WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JANUARY 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- Total Quality Management Programme (13-12-2021)
- ऑनलाइन क्रेडिट-डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए RBI के नए नियम अब 1 जुलाई से होंगे लागू
- RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI पर लगी ट्रांजेक्शन फीस को लौटाएगी सरकार, जानिए Digital Transaction पर कैसे मिलेगी छूट
- विक्रेता को मासिक रिटर्न का विवरण छुपाने पर खरीदार को नहीं मिलेगा टैक्स क्रेडिट
- गलत रिटर्न पर अब सीधे वसूली
- अब जुर्माना देकर भरनी होगी रिटर्न
- 'डायरेक्ट सेलिंग' उद्योग के लिए नए नियम अधिसूचित, पिरामिड योजनाओं पर लगी रोक
- इंडिया पोस्ट बैंक घर पर बिल भुगतान सेवा देगा
- नहीं लगाने होंगे चक्कर, घर से ही जमा होगा गृह कर
- लीज खत्म होने पर नए सिरे से होगा नवीनीकरण

Total Quality Management Programme
(13-12-2021)

चैम्बर भवन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (TQM) पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आत्रेय आयुर्वेदिक फार्मेसी के क्वालिटी कण्ट्रोल एनालिस्ट व् सेल्स मार्केटिंग मैनेजर श्री मिलन मिश्रा जी ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के विषय में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किये तथा सभी उपस्थित बंधुओं को काफी लाभान्वित किया। मिलन मिश्रा जी ने जापान की अदभुत 5S पद्धति के बारें में विस्तारपूर्वक बताया जिसका लाभ समस्त व्यापारियों एवं मैनुफैक्चर्स को मिल सके। उनके इस ज्ञानवर्धक सम्बोधन को भरपूर सराहना मिली। कार्यक्रम डॉ राम कुमार गुप्ता जी की अध्यक्षता में किया गया जिसमे विभिन्न फर्मो के उद्यमियों ने भाग लिया।

ऑनलाइन क्रेडिट-डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए RBI के नए नियम अब 1 जुलाई से होंगे लागू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए टोकन नियम का पालन करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए समय सीमा छह महीने बढ़ा दी है। पहले की समय सीमा 1 जनवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 जुलाई 2022 कर दिया गया है। नियम के मुताबिक, Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ-साथ Zomato और Swiggy जैसे ऑनलाइन डिलीवरी एग्रीगेटर्स अपनी वेबसाइट पर कार्ड डिटेल्स सेव नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं को या तो हर बार भुगतान करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होगी या एक निश्चित कार्ड के लिए एक आवर्ती भुगतान विधि के रूप में उपयोग करने का विकल्प होगा।

यह है टोकनाइजेशन:

टोकनाइजेशन शब्द का उपयोग डिजिटल प्लेटफार्म पर डाटा को सुरक्षित रखने के सन्दर्भ में किया जाता है। इसके तहत शब्दों व अंको में लिखे डाटा को एक टोकन वैल्यू में बदल दिया जाता है और डिजिटल हैकिंग करने वाले जब इन तक पहुंचते है तो उन्हें असली डाटा नहीं बल्कि टोकन वैल्यू ही हाथ लगता है। वर्तमान नियम के मुताबिक जब कोई ग्राहक ई-कॉमर्स पर खरीद करता है तो उसके क्रेडिट और डेबिट का डाटा वहां सुरक्षित रख लिया जाता है। ग्राहक जब दोबारा खरीद करने उस साइट पर जाता है तो उससे सिर्फ ओटीपी या सीवीवी नंबर ही माँगा जाता है।

RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI पर लगी ट्रांजेक्शन फीस को लौटाएगी सरकार, जानिए Digital Transaction पर कैसे मिलेगी छूट

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नयी योजना को मंजूरी दी गयी है। अब ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हुए छूट दी जाएगी। कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) और भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन का उपयोग करने वाले पर्सन टू मर्चेंट (P2M) को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी गयी है। इस योजना के तहत बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई से किए गए ट्रांजेक्शन फीस का कुछ प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में सरकार द्वारा दिया जायेगा। व्यक्तियों द्वारा कारोबारियों को किए गए डिजिटल पेमेंट पर लगाई गई ट्रांजेक्शन फीस को लौटाएगी।

स्कीम पर आएगा 1,300 करोड़ रुपये का खर्च

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग वैष्णव ने बताया कि स्कीम पर लगभग 1,300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस योजना का एलान डिजिटल ट्रांजेक्शन को बूस्ट देने के लिए किया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में कहा, "हम सबने तेजी से डिजिटल पेमेंट को अपनाया है। भारत ने अपना रुपे कार्ड का ईजाद किया। इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए इसके लिए अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) में पर्सन तो मर्चेंट वाला जो हिस्सा होता है, उसको भारत सरकार रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट के लिए बैंकों को रीइम्बर्स करेगी। यानि आगामी 1 साल में 1300 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़े।"

एमडीआर क्या है?

दरअसल, मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount rate) डिजिटल पेमेंट में लगने वाले सभी टैक्स और चार्ज का कुल योग होता है। जैसे एमडीआर में बैंक चार्ज शामिल हैं, जो एक बैंक ग्राहकों और व्यापारियों से डिजिटल रूप से पेमेंट करने की अनुमति देने के लिए टैक्स लेता है। इसी तरह, एमडीआर में प्रोसेसिंग चार्ज भी शामिल होता है जो पेमेंट एग्रीगेटर को ऑनलाइन या मोबाइल वॉलेट या बैंकों को उनकी सेवा के लिए भुगतान करना पड़ता है।

ग्राहकों को कैसे मिलेगा फायदा?

सरकार इस स्कीम के तहत डेबिट कार्ड और BHIM-UPI के जरिए 2,000 रुपये तक के पर्सन टू मर्चेंट (P2M) लेनदेन पर इंसेंटिव देगी। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2021 से लागू प्रभावी माना जाएगा। गौरतलब है कि इससे एक तरफ जहां बैंकों के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूती मिलेगी, वहीं रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा और देश में एक बेहतर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

विक्रेता को मासिक रिटर्न का विवरण छुपाने पर खरीदार को नहीं मिलेगा टैक्स क्रेडिट

जीएसटी कानून के तहत नए साल से कारोबारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ पाना और मुश्किल हो जाएगा। 1 जनवरी से नया नियम लागू होने के बाद अगर कोई विक्रेता अपने मासिक रिटर्न में किसी उत्पाद का उल्लेख नहीं करता, तो खरीदार उस उत्पाद पर टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेगा।

सरकार ने फर्जी बिल और गलत दावों के जरिये होने वाली जीएसटी चोरी पर लगाम कसने के लिए कई बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा फैसला कारोबारियों की ओर से भरे जाने वाले मासिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 को लेकर किया है।

इसके तहत किसी कच्चे माल या सेवा की आपूर्ति पर खरीदार को तभी आईटीसी का लाभ मिलेगा, जब विक्रेता ने उत्पाद का विवरण अपने जीएसटीआर-1 फॉर्म में किया है।

इसका मतलब है कि विक्रेता के मासिक रिटर्न में खुलासा करने के बाद ही उस उत्पाद पर खरीदार को आईटीसी का लाभ दिया जाएगा। इसका मकसद फर्जी बिल के जरिये होने वाली जीएसटी चोरी पर लगाम कसना है।

अब किसी कारोबारी को सामान आपूर्ति करने वाले पर भी मासिक बिक्री रिटर्न में सभी विवरण देने का दबाव बढ़ेगा। साथ ही उत्पाद या सेवा की आपूर्ति का स्रोत भी पता चलेगा।

साझेदार के सदस्य को किए गए भुगतान पर भी देना होगा जीएसटी:

जनवरी से अगर कोई व्यक्ति अपने साझेदार के बजाए उससे जुड़े किसी सदस्य या संस्था को भी नकद, अतिरिक्त भुगतान या अन्य कीमती वस्तु देता है तो यह कर योग्य आपूर्ति मानी जाएगी। इसी तरह का भुगतान किसी कंपनी को किया जाता है, तो भी वह कर के दायरे में आएगा। इसका मतलब हुआ कि सभी संबंधित सदस्य या संस्था के साथ किया जाने वाला लेनदेन जीएसटी के तहत आएगा।

फैसले के खिलाफ अपील के लिए भरना होगा 25 फीसदी जुर्माना:

नए नियम के तहत अगर कोई कारोबारी अपने खिलाफ टैक्स अधिकारी के किसी फैसले को चुनौती देना चाहता है, तो उसे पहले लगाए गए जुर्माने की 25 फीसदी राशि भरनी होगी।

मसलन, गलत भंडारण या परिवहन नियमों का पालन नहीं करने पर कोई उत्पाद सीज किया जाता है और कर अधिकारी उस पर जुर्माना लगाता है तो इस फैसले के खिलाफ अपील करने से पहले संबंधित कारोबारी को जुर्माने की 25 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा। इसका मकसद, बेवजह मुकदमेबाजी के कारण जीएसटी वसूली या जुर्माने को अटकाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है।

जीएसटीआर1 व 3बी में गड़बड़ी पर बिना नोटिस रिकवरी करेंगे अधिकारी:

जनवरी से कारोबारियों को मासिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 और तिमाही रिटर्न जीएसटीआर 3बी दाखिल करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर इन दोनों फॉर्म में दी गई जानकारियों में मेल नहीं खाया तो कर अधिकारी बिना किसी नोटिस के सीधे रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे।

अभी तक इन दोनों फॉर्म में कोई गड़बड़ी मिलने पर पहले नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद रिकवरी शुरू होती है। कर चोरी के लिए जीएसटीआर-1 में ज्यादा उत्पादों की खरीद दिखाते हैं और जीएसटी भुगतान के समय जीएसटीआर-3बी फॉर्म में कुल देनदारी घटा देते हैं। सीबीआईसी ने कहा है कि जीएसटी की धारा 75 की उपधारा 12 में बदलाव किया है। अब स्वत: आकलन में बताई राशि में अंतर मिलेगा तो बिना नोटिस रिकवरी शुरू की जा सकेगी।

PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188

Email: shubham@ndf.vsnl.net.in

गलत रिटर्न पर अब सीधे वसूली

जीएसटी अधिकारी गलत रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ वसूली करने के लिए सीधे कदम उठा सकेंगे। यह शिकायत मिलती है कि अपने मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्म में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले कारोबारी कर देनदारी को कम करने के लिए भुगतान से संबंधित जीएसटीआर-3बी फॉर्म में इसे कम करके दिखाते है।

अब जुर्माना देकर भरनी होगी रिटर्न

अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं कर पाए है तो वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन के अंतर्गत अभी भी आपके पास मौका है। 'विलंबित रिटर्न' के जरिए करदाता रिटर्न भर सकते है। इसके लिए विलम्ब शुल्क भुगतान करना होगा।

विलंबित रिटर्न क्या है:

यदि कोई व्यक्ति तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के अनुसार, वह देरी से रिटर्न दाखिल कर सकता है। यदि आपकी कर योग्य आय पांच लाख से अधिक है और आईटीआर 31 दिसंबर 2021 तक जमा नहीं किया गया तो आपको 5000 का एक विलम्ब शुल्क देना होगा। हालांकि, यदि कर योग्य आय पांच लाख से कम है तो विलम्ब शुल्क एक हजार रूपये देना होगा। अगर करदाता देर से रिटर्न फाइल करता है तो अपनी हानिया जैसे व्यवसाय और पेशे से होने वाली आय, जिसमे सटटा व्यवसाय, पूंजीगत लाभ और अन्य स्त्रोतों से आय शामिल है, को अगले साल में आगे बढ़ाने का लाभ नहीं ले सकता है।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

‘डायरेक्ट सेलिंग’ उद्योग के लिए नए नियम अधिसूचित, पिरामिड योजनाओं पर लगी रोक

केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली (डायरेक्ट सेलिंग) कंपनियों के लिए नए नियम अधिसूचित करते हुए उन्हें पिरामिड एवं धन प्रसार योजनाओं को बढ़ावा देने से रोक दिया. इन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर नए नियमों का अनुपालन करना होगा. डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने विक्रेताओं द्वारा बेचे गए उत्पादों एवं सेवाओं को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए भी जवाबदेह बनाया जाएगा. डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की प्रमुख कंपनियों में टपरवेयर, एमवे और ओरिफ्लेम की गिनती होती है. इन कंपनियों के संगठन ने नए नियमों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उद्योग को वैधता मिलेगी.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की. इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे. नए नियमों के तहत राज्य सरकारों को सीधी बिक्री से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाए गए हैं. इन नियमों का पालन नहीं करने पर इन कंपनियों पर दंडात्मक कदम भी उठाए जाएंगे.'

नए नियमों के मुताबिक, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एवं डायरेक्ट विक्रेता पिरामिड योजनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकेंगे और न ही वे किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार का हिस्सा बनने के लिए झांसा दे पाएंगे. अभी तक ये कंपनियां बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाती आ रही हैं. इसके अलावा उन पर प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार के नाम पर धन प्रसार की योजनाएं चलाने पर भी रोक लगेगी.

सरकार के इस कदम का डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने स्वागत करते हुए कहा कि नए नियम आने से अधिक स्पष्टता आएगी और इस कारोबार को वैधता मिलेगी. इसके अलावा आने वाले समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लुभाने और नई तकनीक लाने में इससे मदद मिलेगी.

डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के संगठन आईडीएसए ने कहा कि इस कदम से करीब 70 लाख लोगों को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र को ताकत मिलेगी. आईडीएसए के प्रमुख रजत बनर्जी ने कहा, 'हम नए नियमों का स्वागत करते हैं. हम पिछले दो वर्षों से सरकार को इस बारे में सुझाव देते रहे हैं. हम पूरे मन से इसका समर्थन करते हैं.'

क्या है डायरेक्ट सेलिंग:

डायरेक्ट सेलिंग कंपनिया अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों को सीधे संपर्क कर बेचती है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मल्टीलेवल मार्केटिंग है। इसके तहत लोगो को कंपनी से जोड़ा जाता है, जो अपने संपर्क का इस्तेमाल कर कंपनी के उत्पादों को आगे बेचते है। साथ में नए लोगो को भी कंपनी से जोड़ने का काम करते है। इसे डाउनलाइन कहा जाता है। जब नया सदस्य उत्पाद बेचता या खरीदता है तो उसे जोड़ने वाले को होने वाले मुनाफे से कुछ हिस्सा दिया जाता है।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

इंडिया पोस्ट बैंक घर पर बिल भुगतान सेवा देगा

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने रेकरिंग पेमेंट का नया सिस्टम शुरू किया है। इस नए सिस्टम में ग्राहक अब एनपीसीआई के भारत बिल पे (Bharat Bill Pay) प्लेटफॉर्म के जरिये भुगतान कर सकेंगे। आईपीपीबी और भारत बिल पे ने साझेदारी में यह ऐलान किया कि वे अपने ग्राहकों को घर पर बिल पेमेंट की कई सुविधाएं शुरू कर रहे हैं। यह सुविधा डोरस्टेप सर्विस के अंतर्गत दी जाएगी।

IPPB और Bharat Bill Pay के इस साझा प्रयास में ग्राहक नकदी आधारित बिल का भुगतान करने में सक्षम होंगे और यह सेवा उनके घर के दरवाजे पर ही दी जाएगी। देश के हर हिस्से में भारत बिल पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सर्विस शुरू की जा रही है। जो लोग आईपीपीबी के ग्राहक नहीं हैं, वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रेकरिंग सर्विस और बिजली-पानी जैसे बिल के पेमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

डाक सेवा का फायदा:

पोस्ट ऑफिस की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। शहरों से लेकर गांव-गांव तक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच चलती है। गांवों में ग्रामीण डाक सेवर और बाकी जगहों पर पोस्टल स्टाफ डाक की सेवाएं देते हैं। डाक विभाग के यही कर्मचारी अब भारत बिल पे के जरिये घर-घर बिल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। देश के दूर-दराज इलाकों में जहां ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां भी डाक सेवक आईपीपीबी के जरिये लोगों को बिल पेमेंट आदि का लाभ दिलाएंगे। बिजली बिल या किसी भी तरह का बिल जिसे जमा करने के लिए लोगों को कई किलोमीटर चलकर बैंक जाना होता है। अब यह काम डाक सेवक लोगों के घर जाकर करेंगे। यह काम पूरी तरह से डिजिटल होगा। इससे पेमेंट की सुरक्षा भी बनी रहेगी और ग्राहकों का कीमती समय बचेगा।

HYUNDAI

DAS HYUNDAI
Das Building, Abu Lane, Meerut
Phone no.: 0121-2660052/2660335

नहीं लगाने होंगे चक्कर, घर से ही जमा होगा गृह कर

मेरठ महानगर के लोग जल्द ही घर पर रहकर ही गृह कर (हाउस टैक्स) जमा करा सकेंगे। उन्हें मौके पर ही इसकी रसीद मिलेगी। इसलिए अब बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

नगर निगम ने गृह कर जमा कराने के लिए ई-पॉश मशीन की व्यवस्था कर दी है। कर निरीक्षक यह मशीन लेकर घर पहुंचेंगे और गृह कर जमा करवाएंगे। मौके पर ही भुगतान की रसीद दी जाएगी।

महानगर में करीब तीन लाख भवन स्वामी हैं। गृह कर के रूप में प्रतिवर्ष करीब 30-35 करोड़ रुपये की आय होती है। कर वसूली बढ़ाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था के बाद अब निगम ने ई-पॉश मशीनों का भी प्रयोग शुरू करने का निर्णय लिया है।

निगम ने एचडीएफसी बैंक से जुड़ीं 40 ई-पॉश मशीनें खरीदी हैं। निगम के 19 कर निरीक्षकों को ई-पॉश मशीनें सौंप दी हैं। उन्होंने वार्डों में पहुंचकर ई-पॉश से कर का भुगतान शुरू कर दिया है।

निगम की वेबसाइट पर पे-टैक्स पर भी कर सकेंगे भुगतान:

नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन टैक्स जमा करने की भी सुविधा दी है। इसके लिए शहर निवासी कोई भी भवन स्वामी नगर निगम मेरठ की वेबसाइट पर पे- टैक्स की सुविधा से हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं।

किश्तों में भी जमा हो सकेगा मशीन से टैक्स:

भवन स्वामी किश्तों में भी बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं। निगम के अधिकारियों से लिखित अनुमति नहीं लेनी होगी। अभी तक अनुमति लेने के बाद ही किश्तों में कर जमा होता रहा है। इससे भी लोगों को काफी राहत मिलेगी।

गृह कर भुगतान के नाम पर होते रहे हैं फर्जीवाड़े:

नगर में गृह कर के भुगतान के नाम पर भवन स्वामियों के साथ ठगी के मामले भी सामने आ चुके हैं। फर्जी रसीद छपवाकर पैसे ऐंठने से लेकर अन्य तरीकों से ठगी के मामले सामने आते रहे हैं। नई व्यवस्था से ऐसे मामले भी कम होंगे।

राजस्व वसूली में भी बढ़ोतरी होगी:

स्मार्ट सिटी योजना के तहत गृह कर वसूली के लिए ई-पॉश मशीन का प्रयोग शुरू किया गया है। ई-पॉश मशीन से भवन स्वामी घर बैठे ही कर जमा कर रसीद प्राप्त कर सकेगा। निगम के राजस्व वसूली में भी बढ़ोतरी होगी। - अवधेश कुमार, चीफ टैक्स अधिकारी, नगर निगम।

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

Envelope Papers, Ribbed Papers, Packaging & Manination Papers, Scrap Book, Craft Papers, Writing & Printing Papers, Mg Colour Papers, News Print Papers, Stationery Papers, Pulp Grade Papers

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401

Phone No.: 01233-271137

Email: sales@sangalpapers.com

Website: www.sangalpapers.com

लीज खत्म होने पर नए सिरे से होगा नवीनीकरण

मेरठ सहित देश की सभी 62 छावनियों में छावनी भूमि प्रशासन नियम 2021 लागू हो गई है। नई नियमावली में भूमि की प्रशासनिक व्यवस्था का असर छावनी में रहने वाले लोगो पर भी पड़ेगा। खासकर जिन बंगलो का लीज खत्म हो गया है उसका नए सिरे से नवीनीकरण किया जाएगा। हालांकि, इसमें एसटीआर (स्टैंडर्ड टेबल आफ रेंटस) को आधार बनाया गया है। जिससे बंगले का वार्षिक किराया बढ़ सकता है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से छावनी भूमि प्रशासन के नियमो को लेकर 23 जून 2021 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। जिस पर लोगो की आपत्तियों के बाद 3 दिसंबर 2021 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर नए नियम को लागू कर दिया है। जिससे छावनी में सभी तरह की भूमि को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। फ्री होल्ड की भूमि की परिभाषा और नियमो में बदलाव का वर्गीकरण किया गया है। नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर है। जिस बंगले की 90 साल की लीज पूरी हो चुकी है, अभी तक उसके लीज बढ़ाने का लिखित प्रावधान नहीं था। लीज खत्म होने के बाद उसे कैंटबोर्ड या रक्षा संपदा विभाग को वापस करना होता था। नए नियम में जिसकी लीज खत्म हो गई है, उसे फिर से नवीनीकरण किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को एसटीआर की दर पर वार्षिक किराया देना होगा। अगर वह लीज की प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता है तो ई नीलामी कराई जाएगी।

डिजिटल रिकॉर्ड की मान्यता:

अभी तक हाथ में लिखे जीएलआर यानी जनरल लैंड रिकॉर्ड की मान्यता थी।

फ्री होल्ड भूमि का प्रबंधन रक्षा संपदा के पास:

छावनी में अब फ्री होल्ड भूमि का प्रबंधन कैंट बोर्ड से हटाकर रक्षा संपदा अधिकारी को दिया गया है। जो जमीन फ्री होल्ड होगी उसे बी-3 ए श्रेणी में कर दिया गया है। जीएलआर में फ्री होल्ड जमीन को अब प्राइवेट की जगह

रक्षा संपदा के प्रबंधन में लिखा जाएगा। इस बदलाव से आगे चलकर फ्री होल्ड में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है।

हर साल तय होगी एसटीआर:

नए नियम में हर साल एसटीआर की दर तय होगी। एसटीआर की परिभाषा बना दी गई है। जिसमे जिला प्रशासन, नगर निगम, रक्षा संपदा कार्यालय और सब एरिया की कमेटी मानक एसटीआर बनाएगी। जिसका निर्धारण हर साल करना होगा। एसटीआर पर ही छावनी के सभी किराय तय होंगे।

सेना की खाली भूमि पर हो सकेगी खेती:

A-2 लैंड सेना की भूमि होती है, जिसे सेना जरुरत पड़ने पर इस्तेमाल करती है, फिर यह भूमि खाली पड़ी रहती है। अब नए नियम में खाली पड़ी जमीन को स्टेशन कमांडर की अनुमति से रक्षा संपदा अधिकारी पांच साल के लिए खेती कार्य के लिए किसी को भी ठेके पर दे सकेंगे।

नए नियम में ये बड़ी समस्या:

नई नियमावली कुछ प्रावधान छावनी के लोगो को खासकर लीज के मामले में दोबारा से लीज लेने के लिए एसटीआर के अनुसार वार्षिक किराया देना होगा। जो लाखो में आएगा। जो लोग 50 रूपये से 100 रूपये के लीज पर है, उन्हें लाखो रूपये हर साल देना होगा। वही फ्री होल्ड जमीन का प्रबंधन रक्षा संपदा कार्यालय से होने अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ेगा।

XXXXXXXXXXXX